28.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थिया के मध्य घोषणा का दावा विचाराधीन है तथा अप्रार्थिया ने उक्त दावे मे काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया है। उक्त दावा विचाराधीन रहते अप्रार्थिया ने 135(2) मे प्रार्थना प्रस्तुत तहसीलदार बिलाडा के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 13.2.2019 के द्वारा अप्रार्थिया के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नही होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष मे है। अतः न्यायहित मे अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के हक मे प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

28/2/19

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर